न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास लहरीकुमार जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—339/14

1. रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति गूजर ।
2. बाबूलाल पुत्र पुत्र गोपाल जाति गूर्जर ।
3. छोटूलाल पुत्र गोपाल जाति गूजर निवासी खजूरी तहसील कनवास।

(वादी)

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीऐक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एंव कब्जे कास्त की आराजी माल ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या नया 352 पुराना 334 की खसरा नंबर 18 की 0.09 है0, खसरा नंबर 20 की 0.53 है0, खसरा नंबर 1462 की 0.55 है0, खसरा नंबर 1481 की 0.74 है0, खसरा नंबर 1482 की 0.04 है0, खसरा नंबर 1483 की 0.09 है0, खसरा नंबर 1489 की 0.16 है, खसरा नंबर 1490/1809 की 0.03 है0, खसरा नंबर 1605 की 1.00 है0, खसरा नंबर 1606 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1626 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1627 की 1.48 है0, कुल किता 12 की कुल रकबा 4.80 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण के नाम के पूर्व नकल जमाबंदी में काश्तकार का नाम नामक कॉलम में रिज्यूम शब्द अंकन हो रहा है। उक्त आराजियात को आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजियात से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजियात के राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम से पूर्व रिज्यूम शब्द का कोई औचित्य नहीं है बाद रिज्यूम वादीगण अकेले खातेदार हैं, जिनकों विवादित आराजियात रहन विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी खाता संख्या उक्त खाते में रिज्यूम शब्द पूर्व से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। जो वादीगण हटाना चाहता है। तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में माल ग्राम खजूरी खाता संख्या 379 के खसरा नंबर 18, 20, 1462, 1481, 1482, 1490/1809, 1605, 1606, 1626, 1627 किता 12 रकबा 4.80 खातेदार रिज्यूम छोटूलाल पि0 गोपाल हिस्सा 1/3 मोतीलाल , धनराज, बालमुकन्द पुत्रान रामेश्वर हिस्सा 4/15 हि0ब0 भंवरीबाई पत्नि स्व0 श्री रामेश्वर हि 1/15 भोजराज, भीमराज, पुत्र बाबूलाल ललताबाई पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल हि 0 1/3 हि0ब0 कौम गुर्जर के नाम खाता दर्ज है। खातेदारान उपयुक्त भूमि माफी मन्दीर की नंही है, वह नांही खातेदार ने माफी मन्दिर की भूमि खरीदी है। उपयुक्त भूमि खातेदार को चौकीदारी में प्राप्त हुई है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दोरान वकील वादी ने हमारा ध्यान प्रस्तुत उद्वरण आर आर डी 1985 पेज सं. 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एंवम आर बी जे (13) 2006 पेज सं. 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय जयपुर सरवन जीत बनाम सरकार व अन्य की और हमारा ध्यान आकर्षित कराया जिसमें माफी के 1.7.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज सरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षीगण को धारा 13 आरटीएक्ट तथा धारा 9 एंव 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया । एंव धारा 193 आर टी एक्ट 1955 पेश की । राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.2(682)Rev./B/62 दिनांक 5/6/65 व दिनांक 11/3/66 व अधिसूचना दिनांक 10.5.66 से तथा आर.टी. एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी सेवादार होने से खातेदार आसामी तो गया है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वाद पत्र में अंकित आरजी माल ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्यां नया 352 पुराना 334 की खसरा नंबर 18 की 0.09 है0, खसरा नंबर 20 की 0.53 है0, खसरा नंबर 1462 की 0.55 है0, खसरा नंबर 1481 की 0.74 है0, खसरा नंबर 1482 की 0.04 है0, खसरा नंबर 1483 की 0.09 है0, खसरा नंबर 1489 की 0.16 है, खसरा नंबर 1490/1809 की 0.03 है0, खसरा नंबर 1605 की 1.00 है0, खसरा नंबर 1606 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1626 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1627 की 1.48 है0, आराजी पर वादीगण के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि माल ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या नया 352 पुराना 334 की खसरा नंबर 18 की 0.09 है0, खसरा नंबर 20 की 0.53 है0, खसरा नंबर 1462 की 0.55 है0, खसरा नंबर

खसरा नंबर 1489 की 0.16 है, खसरा नंबर 1490/1809 की 0.03 है0, खसरा नंबर 1605 की 1.00 है0, खसरा नंबर 1606 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1626 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1627 की 1.48 है0, आराजी भूमि पर से वादीगण के नाम के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 23.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरीकुमार जैन)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी कनवास

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. रामेश्वर पुत्र गोपा जाति गुर्जर।
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर।
3. छोटूलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी खजूरी तहसील कनवास।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा न. 339/14 सन 2014 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इन[illegible] कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी श्री महेश कुमार तिवारी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या नया 352 पुराना 334 की खसरा नंबर 18 की 0.09 है0, खसरा नंबर 20 की 0.53 है0, खसरा नंबर 1462 की 0.55 है0, खसरा नंबर 1481 की 0.74 है0, खसरा नंबर 1482 की 0.04 है0, खसरा नंबर 1483 की 0.09 है0, खसरा नंबर 1489 की 0.16 है, खसरा नंबर 1490/1809 की 0.03 है0, खसरा नंबर 1605 की 1.00 है0, खसरा नंबर 1606 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1626 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1627 की 1.48 है0, आराजी भूमि पर से वादीगण के नाम के साथ अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... x ...मुबलिग .... x ...बाबत ... x ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... x ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.11.2016 माह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

(श्री लहरी कुमार जैन)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।